कार्यालय विक्रय अधिकारी

बारां नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड,बारां प्रधान कार्यालय,नियर बस स्टेण्ड-बारां टेलीफोन 07453–230084

क्रमांक :–   **–:पूर्व स्थगित विक्रय की उद्घोषणा :–**   **दिनांकः– 03.07.2026**

समस्त आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि पूर्व स्थगित विक्रय की उदघोषणा के तहत राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2001 की धारा 99–100 के अन्तर्गत चूक करने वाले अग्रांकित ऋणी सदस्याण से बैंक बकाया ऋण तथा कुर्की/बिकी का खर्चा वसूल करने के लिए न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों बारां के आदेशानुसार अधिकृत विक्रय अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार वर्णित मौके पर अवस्थित सम्पत्ति प्रतिकात्मक कब्जा या रचनात्मक कब्जा **"जहाँ है, जैसी है" और जो है,जो कुछ भी है",जिसके पास भी है""** के आधार पर को विक्रय करने हेतु अग्रांकित दिनांक/तिथि एंव नीलामी स्थल पर सार्वजनिक रूप से खुली बोली के द्वारा नीलाम/विक्रय किया जावेगा। तथापि बोली समाप्त होने से पहले ऋणी द्वारा बकाया राशि तथा खर्चा चुका दिये जाने की स्थिति में विक्रय बन्द कर दिया जावेगा।नीलामी की शर्ते बैंक की वेबसाईट bnsb.bank.in एंव बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेण्ड,बारां से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। **नीलामी दिनांकः–12.08.2026**

क	रहन एंव विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	नीलामी दिनांक	नीलामी समय	नीलामी स्थान	बकाया ऋण राशि (रू0)	जमानतदार
1	**सम्पति मालिक श्री गिरिराज सिहँ पुत्र श्री गोविन्द सिहँ जी निवासी – ग्राम पोस्ट ईश्वरपुरा, त0–मांगरोल जिला–बारां (राज.)** की अचल सम्पत्ति/मकान/कच्चा/पक्का एंव ब्लूप्रिन्ट नक्शा/विकय विलेख/पट्टा संख्या 09 दिनांक 27.08.2001 का ग्राम पंचायत – ईश्वरपुरा के आलेखित अनुसार अचल सम्पत्ति का माप/नाप :– 2137.50 वर्गफीट है। यथास्थिति मौकानुसार । पूर्व –मकान बलवन्त सिहँ जी पश्चिम–आम रास्ता उत्तर–मकान पृथ्वीराज जी दक्षिण–मकान मोतीलाल जी	**12.08.2026** **विक्रय योग्य** सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य 04.91 लाख (दिनांक 19.07.2024 वेल्यूवेशन अनुसार)	**दिन के 03 बजे से**	**बारां नागरिक सहकारी बैंक लि0 शाखा मांगरोल नगर पालिका के सामने मांगरोल**	**बकाया ऋण 490118.00** 30.06.2026 तक **एवं दिनांक– 01.07.2026** से ब्याज ता तारीख तथा 10 प्रतिशत् कुर्की बिकी खर्चा बैंक नियमानुसार अलग से देय होगा	1. श्री बाबूलाल जाट/ श्री रामकरण जी, निवासी–ईश्वरपुरा 2. श्री रामकिशन धाकड/ श्री धन्नालाल जी निवासी–ईश्वरपुरा

नीलामी की शर्ते :–

1. रजिस्ट्रेशन राशि 5000/–रू0 रहेगी, जो बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/वसूली अधिकारी के पास दिनांक–**12.08.2026 को 10 बजे से दिन के 03 बजे** तक नकद जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर सकते है। नीलामी में भाग लेने हेतु इस रसीद का होना आवश्यक है।
2. नीलामी बोली में बोलीदाता ही स्वयं उपस्थित होगें, अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र ,फोटो , पेन कार्ड ,आधार कार्ड स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कर नीलामी बोली में रजिस्ट्रेशन राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. **प्रथम न्यूनतम बोली आरक्षित मूल्य से अधिक होगी उसके बाद प्रति 1000/–रू0 के गुणक मूल्य में नीलामी बोली बढती रहेगी।**
4. नीलामी की अन्तिम बोली जिस व्यक्ति के नाम समाप्त होगी उसे बोली समाप्ति के बाद 25 प्रतिशत् राशि उसी दिन या 01 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी,उक्त समयावधि में राशि जमा नही होने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी,जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
5. शेष बकाया नीलामी राशि 15 दिवस में बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेण्ड बारां में उक्त खाता संख्यॉ–**001130901150130** में जमा करानी होगी। 15 दिवस में शेष नीलामी राशि जमा न होने की दशा में धरोहर राशि सहित 25 प्रतिशत् जमा राशि भी जब्त कर ली जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
6. यदि प्रथम बोलीदाता उक्त नीलामी बोली राशि जमा नही कराता है तो बैंक को अधिकार होगा कि द्वितीय बोलीदाता के पक्ष में नीलामी बोली छोड सकता है अथवा नीलामी निरस्त कर सकता है।
7. नीलामी बोली उस समय तक अस्थाई होगी, जब तक प्राधिकृत अधिकारी उसे स्वीकार न करें।
8. नीलामी बोली उपरान्त बोलीदाता का नाम उनके द्वारा दिए गए रिकार्ड अनुसार ही मान्य होगा बाद में कोई परिवर्तन नही होगा।
9. यदि ऋणी द्वारा नीलामी दिनांक से 30 दिवस में बकाया ऋण राशि ,ब्याज,वसूली खर्च,एंव अन्य नीलामी से संबधित खर्च सहित जमा करा दी जाती है तो बैंक को नीलामी बोली निरस्त करने का अधिकार होगा तथा बोली दाता की नीलामी राशि बैंक में प्रचलित सैविंग्स ब्याज दर सहित वापस लोटा दी जावेगी।
10. चल एवं अचल सम्पत्ति की नीलामी राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 के अन्तर्गत की जावेगी।
11. मौके पर सम्पत्ति प्रतिकात्मक कब्जा या रचनात्मक कब्जा **"जहाँ है, जैसी है" और जो है,जो कुछ भी है",जिसके पास भी है""**के आधार पर यथास्थिति मौकानुसार ही नीलाम की जा रही है।
12. उक्त अचल संपत्ति पर केन्द्र/राज्य सरकार/निगम/निकाय/संस्था आदि का किसी भी प्रकार का पूर्व/वर्तमान बकाया ड्यूज ,एंव सम्पत्ति ट्रान्सफर खर्च केता को वहन करना होगा।
13. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम मे परिवर्तन करने, अथवा बिना कोई कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। जमानतदार नीलामी स्थल पर मौजूद रहे।
14. विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस एंव कार्यालय समय में बैंक के प्रधान कार्यालय बारां से प्राप्त की जा सकती है। अतः खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/सज्जन मौके पर पधारकर बोली लगावे।

Sd
विक्रय अधिकारी
बाराँ नागरिक सहकारी बैंक लि0   कृ0पृ0उ0

क्रमांक(फा)बानासबैंक प्र.का.बारां/वसूली/2026–27/767-774 दिनांकः–03.07.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1 श्रीमान् न्यायालय उपरजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां बारां।

2 श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, बैंक बारां।

3 श्रीमान् महाप्रबन्धक महोदय, बैंक बारां।

4 शाखा प्रबन्धक शाखा–मुख्यशाखा बारां/प्रधान कार्यालय शाखा बारां/तेलफेक्ट्री एरिया बारां शाखा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।

5 सम्पत्ति मालिक/ऋणी श्री गिरिराज सिहँ पुत्र श्री गोविन्द सिहँ जी निवासी–ग्राम पोस्ट ईश्वरपुरा, त0–मांगरोल जिला–बारां (राज.) को जर्ये पत्र द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त रहन शुदा सम्पत्ति की नीलामी हेतु विक्रय की उद्घोषणा दिनांक 02.08.2026 के बाद के स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशित करवा दी जावेगी। समस्त ऋणी सदस्य एवं जमानतदारान् सूचित हो।

6 जमानतदार – श्री बाबूलाल जाट/श्री रामकरण जी, निवासी–ईश्वरपुरा

7 जमानतदार – श्री रामकिशन धाकड/धन्नालाल जी निवासी–ईश्वरपुरा

8 नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु बैंक/नगर परिषद बारां/पंचायत भवन

कार्यालय विक्रय अधिकारी बारां नागरिक सहकारी बैंक लि.बारां

विक्रय अधिकारी
बारां नागरिक सहकारी बैंक लि0

विक्रय अधिकारी
बारां नागरिक सहकारी बैंक लि०